कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 (Road) 2015/FCA/PCCF/ CCF-EDS II Jaipur dated 12.8.2017

Executive Engineer, PWD Jhalawar के द्वारा झालावाड जिले / वन मंडल में **Construction of road fron Beenaganj road to balwatpura under RIDF Scheme in Rajasthan** के निर्माण कार्य हेतु 0.936 है0 वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/11683/2015 पर दिनांक 15.4.2015 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

(A) **Compliance of EDS dated 21.2.2017 is awaited:**

बिन्दु संख्या 2 : बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव में सडक की लम्बाई 1070 मीटर एवं चौडाई 8.5 मीटर कुल 0.9095 है0 वन भूमि में कोई दावा नही होने का प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रस्ताव में 0.936 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु संख्या 4 : बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में 100 वृक्षो के वृक्षारोपण की योजना 1138440.00 संलग्न की गई है विस्तृत योजना संलग्न नही की गई है। योजना की राशि अत्याधिक है अतः संबंधित मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कर संलग्न करे। साथ ही स्थल की KML file , DGPS map & GT Sheet संलग्न किया जावे।

बिन्दु संख्या 5 : पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा एक प्रति मूल एवं दूसरी प्रति फोटो प्रति प्रस्तुत की जानी थी किन्तु एक प्रति फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त प्रति में पार्ट II एवं पार्ट III एवं अन्य दस्तावेज संलग्न नही है। प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक अंकित किये जावे एवं उक्तानुसार ही दस्तावेज वेबपोर्टल पर अपलोड करावे।

(B) **Additional information is to be submitted :**

1. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या A-3 (xvii) में संलग्न की गई अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सत्यापित नही किये गये हैं। जो प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B-1 मे प्रस्तुत 4 प्रकरणों में 3 प्रकरणों की सैद्वान्तिक स्वीकृति वर्ष 18 मार्च 2015 को जारी की गई है प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना नही किये जाने के कारण दिया जाना प्रस्तावित है। उप वन संरक्षक मौके की स्थिति का निरीक्षण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के बारे में स्पष्ट टिप्पणी दिया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-b(iv) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की DGPS map में प्रस्तावित वन भूमि के सभी कानर्स के जी0पी0एस0 कोर्डीनेट्स दिया जाकर ग्राम की सीमा भी अंकित करे।
4. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के औचित्य के बारे में कोई दस्तावेज संलग्न नही करते हुए कोई विकल्प नही होना अवगत कराया गया है प्रस्ताव में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने की उप वन संरक्षक की टिप्पणी संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या E में यूजर ऐजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्ताव से 50 स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाना अवगत कराया गया है। इस बारे में अवगत करावे कि उक्त स्थायी रोजगार किस प्रकार उपलब्ध किये जावेगे।
6. यूजर ऐजेन्सी को निम्न सूचनाऍ दिया जाना प्रस्तावित है:-
   1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट मय कास सेक्शन ऑफ रोड
   2. जमाबंदी एवं खसरे मेप पर अंकन

7 उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 6 में Forest area is erosion prone अंकित किया गया है किन्तु गैर वानिकी गतिविधियों से होने वाले क्षरण से भूमि संरक्षण हेतु कोई प्रावधान नही लिए गये है। स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

8 प्रस्ताव में पालना 1 वर्ष 5 माह बाद प्राप्त हुई है एम0ओ0ई0एफ0 भारत सरकार के निर्देशो में सभी स्तर (उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक) पर समय सीमा निर्धारित है अतः देरी से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का समुचित कारण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। एवं प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उलघंन पर उप वन संरक्षक की स्पष्ट टिप्पणी।

9 उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 7 में प्रस्ताव की वन क्षेत्र से दूरी 0.936 कि0मी0 अंकित की गई है जबकि प्रस्ताव एक सीमा से प्रारंभ होकर दूसरी सीमा पर जाता है। अतः दूरी शुन्य होगी।

उपरोक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पुनः अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लौटाया जाकर सूचना भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR